समाज कल्याण विभाग

मूक एवं बधिर विद्यालय परिसर,

दिल्ली गेट, नई दिल्ली–02

अतांराकित प्रश्न संख्याः- 234

दिनॉकः - 09.08.2018

प्रश्नकर्ताः - श्री विजेन्द्र गर्ग

क्या समाज कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि

	प्रश्न	उत्तर
(क)	समाज कल्याण द्वारा नई वृद्धावस्था पेंशन का कोटा कब तक लाया जाएगा	नई वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत सक्षम अधिकारी की अनुमति से उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर अतिरिक्त कोटा सभी विधानसभा क्षेत्रों को प्रदान करने का प्रस्ताव अनुमोदित हो चुका है एवं निर्देश जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।
(ख)	जिन व्यक्तियों की पेंशन रूकी हुई है, उनको पेंशन का भुगतान कब तक शुरू कर दिया जायेगा; और	विभाग द्वारा लाभार्थियों की रूकी हुई पेंशन को शीघ्रअतिशीघ्र जारी करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री परिषद् ने यह निर्णय लिया है कि पेंशन लाभार्थियों के आधार संख्या उनके बैंक खातों में संबद्ध न होने के कारण जो बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिल पा रही थी उनकी पेंशन जारी कर दी जाएगी तथा बैंक खातों में आधार संख्या दर्ज करने का कार्य साथ ही साथ जारी रहेगा। सभी योग्य लाभार्थियों को PFMS माध्यम से पेंशन नियमित रूप से प्रेषित की जा रही है। इसके अतिरिक्त लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान सुचारू रूप से प्रेषित किए जाने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे है जैसें कि लाभार्थियों की पेंशन संबंधी किसी भी प्रकार की समस्याओं के निवारण हेतु सभी जिला कार्यालयों एवं मुख्यालय में जन संपर्क खिड़की की व्यवस्था है। सभी बैंकों के साथ बेहतर तालमेल के प्रयास किए जा रहे हैं, विभाग द्वारा सभी विधायकों के कार्यालयों में विभाग के कर्मचारी समस्या सुलझाव हेतु जाते हैं आदि।
(ग)	पेंशन के अलावा समाज कल्याण विभाग द्वारा और कौन–कौन सी आर्थिक एवं सामाजिक योजनाएं चलाई जा रही हैं; उनकी विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएं?	पेंशन के अलावा समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं का ब्यौरा संलग्न है।

Dr. MAHESH SHARMA
Dy. Director (FAS)
Deptt. of Social Welfare
Govt. of N... hi
G.L.N.S. C... Gate

सामाजिक सुरक्षा शाखा

1) **मनोरंजन केन्द्र**

इस समय वृद्धों के मनोरंजन हेतु 111 वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केन्द्र चलाये जा रहे हैं । मनोरंजन केन्द्रों में वृद्धजनों के मनोरंजन के सामान व खेल सामग्री के अलावा स्वास्थ्य कैम्प, पुस्तकालय, योगा, सालाना दो पर्यटन यात्रा हेतु सुविधाएं भी दी जाती हैं । मनोरंजन केन्द्रों की स्थापना करने का एकमात्र उद्देष्य वरिष्ठ नागरिकों को उनके खाली समय में तनावमुक्त रहने और सामाजिक कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करना है । ये सुविधायें वरिष्ठ नागरिकों को उनके परिवार से जोड़े रखती है और दिन में जब उनके परिवार के लोग अपने कार्य तथा व्यवसाय के लिए जाते हैं तब वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल की जिम्मेवारी उनके परिवार के लिए एक समस्या के रूप में नही रह जाती है ।

मनोरंजन केन्द्र खोलने हेतु योग्यताएं :–

1. वृद्ध नागरिक संस्था/आवासीय कल्याण संस्था अथवा वे एनजीओ जो **केवल वृद्ध कल्याण** के क्षेत्र में कार्यरत हैं ।
2. संस्था को चाहिए कि उसके पास तीन साल पहले का सोसायटी से पंजीकृत रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए ।
3. संस्था के पास कम–से–कम 50 पंजीकृत सदस्य होने चाहिए ।

सहायता का **तरीका**:–

गैर आवर्ती अनुदानः– एकमुश्त 75000/– रूप्ये का अनुदान उन संगठनों को जिनके पास स्थान उपलब्ध है आवष्यकता के अनुसार कुर्सी, टेबल, कपबोर्ड, टेलीविजन, आंतरिक खेल मदों, कुलर, पानी के कूलर, पर्दे आदि खरीदने के लिए दिया जाता है ।

आवर्ती अनुदानः– 20,000/– रूपये का अनुदान भूउपयोग के पचालनात्मक, जिनमें सेवकों का भुगतान, किराया, स्वामित्व वाले भवन के मामले में छोटी–मोटी मरम्मत, स्वास्थ्य षिविरों/योगा षिविरों, चर्चा और संगोष्ठियों, राष्ट्रीय व क्षेत्रीय त्यौहारों के आयोजन, समाचार पत्रों, मैगजींन, पत्रिकाओं की खरीदी, पानी व बिजली प्रभार के भुगतान और अन्य आनुषंगिक व्यय के लिए दिया जाता है । आवर्ती अनुदान निम्नलिखित उप षीर्ष के अंतर्गत किया जा सकता है –

1. कर्मचारियों के वेतन/किराया/पानी व बिजली प्रभार के भुगतान।
2. स्वास्थ्य शिविर/योगा शिविर/पोषण संगोष्ठियों और कार्यशालाओं, त्यौहारों के उत्सव, समाचार पत्रों, मैगजीन आदि की खरीदी ।

3. टूर/दौरों आदि के आयोजन ।
4. कोई अन्य आनुशंगिक व्यय ।

आवर्ती अनुदान उपशीर्ष वार अनुबंधित नहीं है और उपर उल्लिखित किसी भी या सभी उपषीर्षों के उपर खर्च किया जा सकता है । जिन गैर सरकार संगठनों के पास स्वयं का स्थान उपलब्ध नहीं है उन्हें केवल 10,000/– रूपये प्रतिमाह का आवर्ती अनुदान उपर दिये सभी घटकों के विकय के लिए दिया जाता है ।

2) <u>वृद्धाश्रम :–</u>

दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे वृद्धाश्रमों में रहने, खाने–पीने, मनोरंजन व स्वास्थ्य संबंधी सभी सुविधाएं दी जाती है । दिल्ली सरकार द्वारा दो वृद्धाश्रम चलाए जा रहे हैं :–

1. तिलक विहार स्थित वृद्धाश्रम । वर्तमान में यह वृद्धाश्रम बिन्दापुर स्थानांतरित हो गया है ।
2. लामपुर स्थित वृद्धाश्रम, जिसे गैर सरकारी संस्था दिल्ली ब्रदरहुड सोसायटी पब्लिक प्राईवेट साझेदारी के तहत चलाया जा रहा है ।

वर्तमान में दिल्ली सरकार द्वारा 10 नये वृद्धाश्रम खोलने का प्रस्ताव स्वीकृत किया जा चुका है । इसके लिये विभाग को दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रो में भूमि आबंटित कर दी गई है। 10 नये वृद्धाश्रम की वर्तमान स्थिति संलग्न है।

3) <u>मेंटिनेंश एवं अपीलेट ट्रिब्यूनल :–</u>

दिल्ली भरण–पोषण तथा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण नियमावली 2009 के अंतर्गत बच्चों या रिश्देदारों द्वारा देखभाल न मिलने व संपत्ति विवाद की स्थिति में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेंटिनेंश एवं अपीलेट ट्रिब्यूनल 11 जिलों में चलाए जा रहे हैं।

सोशल डिफेंस ब्रांच, समाज कल्याण विभाग

कुष्ठ पुनर्वास केंद्र योजना (RCI Scheme) 1981 में प्रारंभ की गई थी। यह योजना दिल्ली में रहने वाले कुष्ठ रोगियों को राशन भत्ता दिये जाने से संबंधित है। इस योजना के अंतर्गत दिल्ली में रहने वाले 494 कुष्ठ रोगियों को रु 1800/– प्रति माह राशन भत्ता के रूप में दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा 11 भिक्षु गृह चलाए जाते हैं, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा बंबई भिक्षावृत्ति अधिनियम 1959 के अंतर्गत सजा किए गए भिक्षुओं को एक या अधिक वर्ष के लिए रखा जाता है। इन भिक्षु गृह में भिक्षुओं को खाना, रहना एवं चिकित्सा सुविधाएं आदि निशुल्क दी जाती हैं। इसके अलावा भिक्षु गृह में भिक्षुओं के पुनर्वास के लिए उन्हें रोजगार प्रशिक्षण दिया जाता है।

विकलांग कल्याण शाखा

योजना का विवरण–

1. समाज कल्याण विभाग की विकलांग कल्याण शाखा निशक्त जन हेतु "नेशनल प्रोग्राम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसबिलिर्टास" (एन. पी.आर.पी.डी.) के अंतर्गत सामान्य विकलांगता शिविर, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से आयोजित करता है। इस शिविर के द्वारा विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं जैसे–

- विकलांगता प्रमाण पत्र नोटिफाइड क्षेत्रीय अस्पतालों द्वारा जारी किया जाता है।
- विकलांगता पहचान पत्र क्षेत्रीय जिला आयुक्त के द्वारा जारी किया जाता है।
- इंटीग्रटेड स्कूलों में पंजीकरण करने की सुविधा की जानकारी शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
- सहायक उपकरणों का वितरण गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है।
- समाज कल्याण विभाग के वित्तीय सहायता योजना के फार्म वितरण।

वर्ष 2016–17 में विभाग द्वारा कुल 11 सामान्य विकलांगता शिविर आयोजित किए गए थे।

2. समाज कल्याण विभाग द्वारा स्टेट प्रोग्राम ऑफ इवेन्टस फॉर सोशली एण्ड फिजिकली डिसएडवान्टेज परसन्स योजना के तहत् अन्तर्राष्ट्रीय दिवस 03 दिसम्बर को वर्ष 2015 से स्टेट अवार्ड देना शुरू किया है। गत् वर्ष 2017–18 अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया था, जिसमें 7 विकलांग व्यक्तियों को जो विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि के लिये स्टेट अवार्ड दिये गये ।
3. पी.डब्ल्यू.डी. एक्ट 1995 के तहत समाज कल्याण विभाग द्वारा उन संस्थाओं का पंजीकरण किया गया है जो विकलांगता के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। अभी तक कुल 83 गैर सरकारी संस्थाओं को समाज कल्याण विभाग द्वारा पंजीकरण किया जा चुका है।

4. दिल्ली अनुदान योजना के अंतर्गत, विभाग, गैर सरकारी संस्थाओं, संगठनों को जो विकलांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहीं है, को अनुदान देती है। वित्तीय

वर्ष 2016–17 में कुल 7 एवं 2017–18 में कुल 6 एन.जी.ओ. को अनुदान दिया गया है।

5. सुगम्य भारत अभियान का क्रियान्वयन केंद्रीय सरकार ने 3 दिसंबर, 2015 को शुरू की जिसके तहत, इमारतों, यातायात व संचार के साधनों में विकलांगों के लिए सुगम्यता बढ़ाई जाए। अभियान के पहले चरण के अंतर्गत दिल्ली की 23 इमारतों को का ऑडिट किया गया। जिनमें से 19 इमारतें दिल्ली सरकार की हैं। ऑडिट के अनुसार केंद्र सरकार ने 18 इमारतों में सुधार व सुगम्य बनाने के लिए 13.93 करोड़ रुपये देने की स्वीकृति दे दी है। यह पैसे संबंधित पी. डब्ल्यू.डी. शाखा को भेजने के लिये वित्तीय विभाग द्वारा कार्य चल रहा है। दूसरे चरण के तहत आयुक्त (पी.डब्ल्यू.डी.) इमारतों का चयन कर रहे हैं, जिनका ऑडिट किया जा सके।

6. समाज कल्याण विभाग द्वारा मानसिक बीमारी से ग्रस्त लोगों के लिए 5 हाफ–वे–होम शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें से अब तक 4 हाफ वे होम क्रियान्वित किए गए हैं। इनमें से 2 होम महिलाओं के लिए एवं 2 होम पुरूषों के लिए हैं।

7. यूडीआईडी (UDID)- केंद्र सरकार के इस प्रोजक्ट जो कि दिल्ली में शीघ्र ही लागू होने वाली है के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को ऑनलाइन विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे तत्पश्चात उन्हें स्मार्ट कार्ड/यूनीक आईडी कार्ड जारी किया जाएगा, जो पूरे देश में मान्य होगा। इस संदर्भ में सचिव (समाज कल्याण) द्वारा संबंधित विभागों के साथ मीटिंग 13/07/2017 को हुई जिसमें स्वास्थ्य विभाग, राजस्व व आई. टी ने भाग लिया । इस प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली राज्य के लिए स्टेट कॉर्डीनेटर की नियुक्ति 07.06.2018 को की गई। स्वास्थ्य, राजस्व व समाज कल्याण विभागों के अधिकारी/कर्मचारीगण के इस प्रोजेक्ट के सॉफ्टवेयर में प्रशिक्षण दिनांक 01.08.18, 02.08.18, 03.08.18 को भारत सरकार की टीम द्वारा दिया गया।

8. नया RPwD Act 2016 यह कानून 19.04.2017 को लागू किया जा चुका है। इस अधिनियम के तहत विकलांगों के अधिकार क्षेत्र को विस्तृत किया गया है और विभागों के कार्यों एवं जिम्मेदारियों को बढ़ाया गया है। इस विभाग द्वारा नए अधिनियम के तहत दिल्ली के नियमो का प्रारूप बनाकर संबंधित विभागों को उनके सुझाव और टिप्पणियों हेतु भेजा जा चुका है ताकि उन सुझावो को प्रारूप नियमों मे शामिल कर अधिसूचित किया जा सके। ड्राफ्ट नियमों को दिनांक 25.05.18 के दिल्ली के गजट में निकाला गया ताकि पब्लिक व एनजीओ अपने सुझाव/टिप्पणी दे सकें जिसके लिए एक माह का समय दिया गया था। प्राप्त सुझावों का अध्ययन किया जा रहा है ताकि नियमों को अंतिम रूप दिया जा सके।

9. समाज कल्याण विभाग द्वारा उन गैर सरकारी संस्थाओं को संस्तुति भारत सरकार को की जाती है जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की विभिन्न योजनाओं जैसे कि दीन दयाल रिहैबिलिटेशन स्कीम (डीडीआरएस), अवेयरनस जनरेशन प्रोगाम (एजीपी), असिस्टेंश टू डिसअब्ल्ड परसन फॉर पर्चेसिंग/फीटिंग ऑफ एडस/एप्लीएंसिस स्कीमस (एडीआईपी) और स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन आफ परसन्स विद डिसअबिलिटी एक्ट (एसआईपीडीए) के तहत आवेदन करते हैं। वर्ष 2016–17 में विभाग द्वारा 23 एवं 2017–18 मे 12 संस्थाओं को अनुदान देने हेतु संस्तुति दी गई।

10. समाज कल्याण विभाग द्वारा मूक बधिर छात्रों के लिए पांच स्कूल, दृष्टिबाधित के लिए एक स्कूल हॉस्टल के साथ, एक हॉस्टल दृष्टिबाधित कॉलेज जाने वाले लड़को के लिए, छः संस्थाएं मानसिक रूप से विकलांग लोगों और एक स्कूल मानसिक रूप से विकलांग बच्चो के लिए दिल्ली की विभिन्न जगहों पर चलाए जा रहे हैं।

विभाग द्वारा मूक बधिर के लिए चलाए जा रहे पांच स्कूलों में मुफ्त शिक्षा, किताबें, यूनिफोर्म, मध्याह्न भोजन दिया जाता है और यातायात सुविधा 40 रुपये प्रति बच्चे प्रति महिना लिया जाता है। स्कूलों का विवरण निम्नलिखित है:–

- गवर्नमेंट सेकेण्डरी स्कूल फॉर डेफ, कालकाजी, दिल्ली – 400 विद्यार्थी
- गवर्नमेंट लेडी नायस सीनियर सेकेण्डरी स्कूल फॉर डेफ, दिल्ली गेट, दिल्ली – 644 विद्यार्थी
- नर्सरी प्राइमरी स्कूल फॉर डेफ, नेहरू विहार, दिल्ली – 165 विद्यार्थी
- नर्सरी प्राइमरी स्कूल फॉर डेफ, मयूर विहार, दिल्ली – 71 विद्यार्थी
- नर्सरी प्राइमरी स्कूल फॉर डेफ, रोहिणी, दिल्ली – 200 विद्यार्थी

विभाग द्वारा इन दृष्टिबाधित स्कूल्स व हॉस्टल में मुफ्त ब्रैल पेपर, किताबें, पढ़ने का सामान, जूते, छड़ी, चश्मे दिये जाते हैं। मुफ्त होस्टल सुविधा में रहना, खाना, स्वास्थ्य सुविधाएं व अन्य सुविधाएं दि जाती हैं। दृष्टिबाधित स्कूल व होस्टल का विवरण निम्निलिखित है:–

- गवर्नमेंट सीनियर सेकेण्डरी स्कूल फॉर ब्लाईंड बोयज, सेवा कुटीर कॉम्पलेक्स, किंगसवे कैंप, दिल्ली– 123 विद्यार्थी

- हॉस्टल फॉर कॉलेज गोइंग ब्लाईंड बॉयज, सेवा कुटीर कॉम्पलेक्स, किंग्सवे कैंप,दिल्ली–103 विद्यार्थी

मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए विभाग द्वारा चलाइ जा रही संस्थाओं व स्कूल का विवरण निम्नलिखित है:–

- होम फॉर मेंटली चैलेंज्ड पर्सन्स (वयस्क पुरुष), आशा किरण परिसर, अवंतिका, रोहिणी, दिल्ली–277 संवासी
- विकासिनी होम फॉर मेंटली रिटारटिड पर्सन्स (अवयस्क लड़के), आशा किरण परिसर, अवंतिका, रोहिणी दिल्ली– 251 संवासी
- प्रगति इंस्टीट्यूशन फॉर सेनियर एडं प्रोफाउंड मेंटली चैलेंज्ड पर्सन्स (महिलाएं), आशा किरण परिसर, अवंतिका, रोहिणी, दिल्ली – 279 संवासी
- सुखांचल स्कूल एंड होम फॉर मेंटली रिटारटिड (महिलाएं), आशा किरण परिसर, अवंतिका, रोहिणी, दिल्ली – 247 संवासी
- आशादीप होम फॉर मेंटली चैलेंज्ड पर्सन्स (वयस्क पुरुष), नरेला, दिल्ली– 121 संवासी
- आशा ज्योति होम फॉर मेंटली चैलेंज्ड पर्सन्स(वयस्क महिलाएं), निर्मल छाया परिसर, हरी नगर, दिल्ली– 57 संवासी
- स्कूल फॉर मैनटली रिटारटिड चिल्ड्रन, मयूर विहार,दिल्ली– 64